नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के हुक्म में जारी हुए	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज बमुक्ष चरनदेवी पत्नी बैकुण्ठी मुकदमा नम्बर: 47/17 दावा	नम्बर व तारीख अहकाम जा इस हुक्म कीं तामील में जारी हुए
15-6-18	आज यह पत्रावली द्वारा लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प इत्यादि में पेश हुई पक्षकार हाजिर, समझाइस की गयी एवं पक्षकारों में राजीनामा हेतु सहमति बनी, सहमति के आधार पर पक्षकारों द्वारा राजीनामा तैयार कर प्रस्तुत किया गया राजीनामा एवं पत्रावली का अवलोकन किया राजीनामा पक्षकारों को सुनाया गया, जिसे सुन समझकर सभी ने लेख स्वीकार किया अतः इस दावा मुताबिक मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते हैं। अतः आदेश है कि दावा वादीया मुताबिक राजीनामा इस प्रकार से डिक्री/डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी ख.नं. 2856 रकबा 11 बिघा स्थित ग्राम अनन्यपुरा का विक्रय रामजीलाल पुत्र रामसिंह द्वारा दिनांक 02/9/2003 को परिवर्त बयनामा चरनदेवी पत्नि मोहर सिंह के नाम पर किया गया है उसका नामाकरण चरनदेवी के हक में खोला जावेगा। तथा ग्राम अनन्यपुरा की आ.ख.नं. 2883 रकबा 0 बीघा 15 बिस्वा में सन्तोषी पुत्र पुत्र नंदोला हिस्सा 1/6 को बैकुण्ठी पत्नी ख. रामजीलाल व भीकम सिंह, ओमवीर सिंह पुत्रान व रोपा, कमला पुत्रियान पि० रामजीलाल के हिस्से में जोड़ा जावेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली डिक्री पारित हो। पत्रावली के फल मुताबिक अंकन बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	